

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 14/08/2025

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद में विमुक्त कुल राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्वास्थ्य समिति को रु० 2,99,36,66,667- (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र उपलब्ध कराये जाने संबंधी व्यय निमित्त आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-2307 दिनांक-26.06.2025 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवटनादेश के आलोक में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission के केन्द्रांश मद में विमुक्त कुल राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,667/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,667/- (रुपये नौ अरब तीन करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की मांग की गई थी, जिसे विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-123(7) दिनांक-30.06.2025 एवं आवटनादेश सं०-124(7) दिनांक-30.06.2025 के द्वारा स्वीकृति देते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति को आवटित कर दी गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के माध्यम से केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश मद में उपबधित राशि से रु० 62,18,00,000/- (रुपये बासठ करोड़ अठारह लाख) मात्र का आवटन प्रदान किया गया। जिसमें बजटीय उपबध के अभाव के कारण रु० 2,99,36,66,667- (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से समानुपातिक राज्यांश की बकाया राशि रु० 2,99,36,66,667- (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड़ छत्तीस लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है।

2- उक्त प्रसंग में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद में विमुक्त कुल राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश के बकाया भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्वास्थ्य समिति को

रु0 2,99,36,66,667- (रुपये दो अरब निम्नानवे करोड छत्तीस लाख छियासठ हजार छ सौ सड़सठ) मात्र विभागीय राज्यादेश सं0 2127/दिनांक- 14/08/2025 के तहत सहायक अनुदान मद में उपलब्ध कराये जाने सबधी व्यय निमित्त आवटन प्रदान की जाती है।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है -

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt. of India (2025-26)						
Sl. No.	Letter no.			Amount (Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G 27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt.25.06.25	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	2720800000	1813866667	4534666667
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	3023000000	2015333333	5038333333
			Total	3023100000	2015400000	5038500000
		SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	7768000000	5178666667	12946666667
			3601-06-789-80-01-35(GBS)	863000000	575333333	1438333333
			Total	8631000000	5754000000	14385000000
		ST	3601-06-796-86-01-31(GBS)	626000000	417333333	1043333333
			3601-06-796-86-01-35(GBS)	7000000	4666667	11666667
			Total	696000000	464000000	1160000000
		PMSSN	3601-06-101-16-08-31	14674000000	9782666667	24456666667
			Total (General+Sc+ST+PMSSN)	54232000000	36154666667	90386666667

4- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्षों अन्तर्गत उपबधित राशि से घटकवार विकलनीय होगा:-

- माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष-0309-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु0 5,00,00,00,000/- (रुपये पाँच अरब) मात्र में से रु0 2,01,54,00,000/- (रुपये दो अरब एक करोड़ चौवन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत राज्यांश मद में माग की गई राशि माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष-0309- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान- गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु0 2,95,00,00,000/- (रुपये दो अरब पचानवे करोड़) मात्र में से रु0 97,82,66,667/- (रुपये संतानवे करोड़ बिरासी लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

5- इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र सं0-870 दिनांक-25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

6- निकासी एव व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निम्नवत् SNA में राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेगें-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

7- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021(खंड-02) के पृष्ठ-40/टि0 पर प्राप्त है।

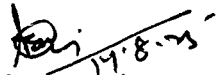
9- यह आवटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17 04 1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05 04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27 11 2007, 96/वि0(2) दिनांक-03 01 2008, 3923/ वि0(2) दिनांक-09.04 2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

12- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खंड-02) - 213 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक-14/08/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

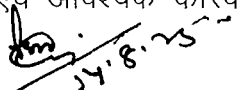
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एव मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव ।